

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.1(111)एमई/ग्रुप-1/91

जयपुर, दिनांक 5 DEC 2020


—:: आदेश ::—

डॉ० अशोक कुमार मेहरड़ा, वरिष्ठ आचार्य, चर्म एवं रति रोग, मेडिकल कॉलेज, अजमेर (जन्म तिथि 03.11.1956) को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर दिनांक 30.11.2021 (मध्याह्न पश्चात) से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित डॉ० अशोक कुमार मेहरड़ा, वरिष्ठ आचार्य, चर्म एवं रति रोग, मेडिकल कॉलेज, अजमेर के विरुद्ध आज तक:-

- (1.) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2.) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3.) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


आदेश से,


15/12/2020
(सुनील शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर को उनके पत्रांक 40557 दिनांक 16.09.2020 के संदर्भ में।
3. संयुक्त निदेशक, पेशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग, अजमेर।
4. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, अजमेर।
5. डॉ० अशोक कुमार मेहरड़ा, वरिष्ठ आचार्य, चर्म एवं रति रोग द्वारा प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर।
6. रक्षित पत्रावली।


15.12.2020
(रमेश चन्द्र आर्य)

शासन वरिष्ठ उप सचिव